न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

ासीन अधिकारीः– श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.
रण संख्याः–94 / 2024

तारीख दायरः–20.09.2024
तारीख निर्णयः–28.04.2025

1. श्री शांतिलाल पिता बदा मीणा निवासी जामुन तहसील फलासिया।

..........प्रार्थी

बनाम

1. श्री हरूपा पिता नानु मीणा निवासी जामुन तहसील फलासिया।
2. श्री लक्ष्मीचन्द पिता हरूपा मीणा निवासी जामुन तहसील फलासिया।
3. श्री प्यारा पिता हरूपा निवासी जामुन तहसील फलासिया।
4. श्री दिनेश पिता हरूपा मीणा निवासी जामुन तहसील फलासिया।
5. श्री मुकेश पिता हरूपा मीणा निवासी जामुन तहसील फलासिया।
6. श्री चेतन पिता हरूपा मीणा निवासी जामुन तहसील फलासिया।
7. श्री मेघा पिता हरूपा मीणा निवासी जामुन तहसील फलासिया।
8. श्री शांतिलाल पिता भंवरा आहरी निवासी जामुन तहसील फलासिया।
9. श्री सुलेमान पिता भंवरा आहरी निवासी जामुन तहसील फलासिया।
10. श्री छोकला पिता कडुआ आहरी निवासी जामुन तहसील फलासिया।

................अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लेण्ड रे. एक्ट.

स्थित– प्रार्थीगण की ओर से– श्री प्रवीण कुमार मेहता

अप्रार्थी की ओर से– एक तरफा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा जामुन पटवार क्षेत्र ला तहसील फलासिया में आराजी नम्बर 2577 / 521 रकबा 0.4800 है0 भूमि स्थित है, जिस पर र्ी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पास विपक्षी की ेदारी की आराजी भूमि स्थित है। विपक्षी आये दिन प्रार्थी को परेशान करते रहते है तथा भूमि में रन प्रवेश कर दखलंदाजी करते है व घास लकडी इत्यादि को ले जाते है। प्रार्थी व विपक्षी की आस पास होने से आये दिन पाली डोली को लेकर सीमांकन बाबत् विवाद होता रहता है। क्षी आये दिन दिन प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करते रहते है। भविष्य में सीमा को लेकर ी प्रकार का कोई विवाद नही हो इसलिये प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाना नितान्त श्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर र्ी की मौजा जामुन पटवार क्षेत्र मादला तहसील फलासिया की आराजी नम्बर 2577 / 521 रकबा 800 है0 भूमि का सीमांकन करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान ाया जावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन मय ल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित ी से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एक

उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, जिला-उदयपुर

Scanned with OKEN Scanner

रफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र कित किये गये है।

हमने विद्वान प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध स्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार श्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की खाातेदारी भूमि के पास विपक्षी की भूमि स्थित होने आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना हते है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना व सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण को भी पत्थरगढी कये जाने में कोई आपत्ती नही है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पंत्र स्वीकार कया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा जामुन पटवार क्षेत्र मादला तहसील फलासिया की आराजी नम्बर 577/521 रकबा 0.4800 है0 भूमि की मौके पर कब्जे सम्बन्धी विवाद नही होने की स्थिति में दोनो क्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार फलासिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000/— रूपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पालना हेतु तहसीलदार फलासिया को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया या।

(कपिल कुमार कोठारी)
उपखण्ड अधिकारी
झाडोल—उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, जिला-उदयपुर

Scanned with OKEN Scanner